


न्यायालय न्यायिक राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालि

72



श्री श्री २३६
 श्री श्री २३६
 प्रस्ताव १६६
 12-7-06

रामसजीवन तनय रामकारे गुप्ता उम्र वर्ष पेशा खेती निवासी
 ग्राम कमजी तहसील चुरहट जिला सीधी ॥म०प्र०॥ --- आवेदक/निग०कर्ता

R 1455/11/06 बनाम

1. ब्रह्मणि तनय श्री बंशी गुप्ता उम्र 62 वर्ष,
2. चन्द्रवती पत्नी मोतीलाल गुप्ता उम्र 68 वर्ष,
3. जगदीश प्रसाद तनय मोतीलाल गुप्ता उम्र 40 वर्ष,

स्त्री का पेशा खेती व व्यापार निवासी ग्राम कमजी तहसील
 चुरहट जिला सीधी ॥म०प्र०॥ ----- अनावेदकगण

क्रमांक
 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज
 दिनांक २३/७/०६ को प्राप्त

क्लर्क ऑफ कोर्ट
 राजस्व मण्डल मध्य प्रदेश ग्वालियर

निगरानी याचिका विरुद्ध आदेश न्यायालय श्री
 मान्द अपर आयुक्त महोदय रीवा सम्भाग रीवा
 के प्रकरण क्रमांक-76/अपील/03-04 में पारित
 आदेश दिनांक 18-5-06 जिसके द्वारा नितान्त
 अवैधानिक तरीके से (अपीलाट) की अतिबाह्य
 अपील स्वीकार करते हुए अधीनस्थ अनुविभागीय
 अधिकारी महोदय चुरहट के आदेश को
 निरस्त करते हुए प्रकरण रिमाण्ड किया गया
 है।

निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा-50 म० प्र०
 मध्य राजस्व संहिता 1959,

मान्यवर,

आवेदक/निगरानीकर्ता की ओर से निम्नलिखित आधारों

पर यह निगरानी याचिका प्रस्तुत है:---

1. यह कि आदेश अधीनस्थ न्यायालय विधि प्रक्रिया एवं न्याय के प्रतिकूल होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

Typed under
 my instruction
 in my office
 23/7/06
 12-7-06

(नेल बहादुर सिंह)
 230

//2//

M

R 1455-III/06 निधी

राजस्थान / वृद्धाश्रम

15-9-15

- आवेदक व उसके अधिकृतता को तीन बार प्रकार लगावाई गई, किंतु लगाताई आवेदक से उपरिष्ठात नही हो सके थे. जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि वह प्राणी प्रमाण नहीं देता है. अतः प्रकरण नं. 9. मुरारि एवं सैदिम को धारा-33(2) के अधिन के अधिन में स्वीकार किया जाता है।
- उक्तों में जीवित रहती होकर दफ्तरी हो।

M

राजस्थान सरकार
 वृद्धाश्रम
 जयपुर